[2018] 1 एस.सी.आर. 665

तमिलनाडु राज्य द्वारा प्रतिनिधि सचिव एवं अन्य

बनाम

के. बालू और अन्य

(एमए नं 489-49 1/2018,366-368/2018,392-394/2018,395-397/2018,388-390/2018,1543-1545/2017,1546-1548/2017 और 1549-1551/2017)

सिविल अपील सं. 12164-12166/2016

23 फरवरी, 2018

दीपक मिश्रा, सीजेआई, अमितावा रॉय और डॉ. डीवाई चंद्रचूड़, जेजे।

शराब-बिक्री-11.7.2017 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश में, यह देखा गया कि दिनांक 15.12.2016 के आदेश में निहित निर्देशों का उद्देश्य शराब की बिक्री के साथ-साथ राजमार्गों की निकटता से निपटना है, जो शहरों, कस्बों और गांवों के बीच संपर्क प्रदान करते हैं-आदेश ने नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों को प्रतिबंधित नहीं किया-इस न्यायालय ने इस आदेश में और स्पष्ट किया कि यह अन्य नगरपालिका क्षेत्रों को भी नियंत्रित करेगा-बाद के आदेश में दिनांकित 13.12.2017, लाइसेंस धारकों को राज्य सरकार को एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई थी कि वही सिद्धांत याचिकाकर्ताओं के लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों पर लागू होना चाहिए, जैसा कि वे नगरपालिका क्षेत्रों पर लागू करते हैं-इन निर्देशों के संबंध में, राज्य सरकारें यह निर्धारित करने से पीछे नहीं हटेंगे कि क्या इस न्यायालय द्वारा दिनांक 11.7.2017 के आदेश में जो सिद्धांत निर्धारित किया गया है, वह स्थानीय स्व-शासित निकायों और वैधानिक विकास द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों पर भी लागू होना चाहिए।

यह इस तथ्य का प्रश्न है कि क्या एक स्थानीय स्व-शासित निकाय द्वारा कवर किया गया क्षेत्र एक नगरपालिका समूह के निकट है या पर्याप्त रूप से विकसित किया गया है क्योंकि एक ही सिद्धांत के आवेदन को लागू करने के लिए-इस रूप में तय करना कि क्या सिद्धांत जो दिनांक 11.7.2017 के आदेश में निर्धारित किया गया है, को एक स्थानीय स्व-शासित निकाय (या वैधानिक विकास प्राधिकरण) तक बढ़ाया जाना चाहिए) राज्य सरकारें सभी प्रासंगिक

परिस्थितियों में सहारा लेंगी जिसमें क्षेत्र में विकास की सीमा और राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर रोक लगाने वाली दिशा में अंतर्निहित वस्तुएँ शामिल होंगी।

दिनांक 11.7.2017 के आदेश में अभिव्यक्ति 'नगरपालिका क्षेत्रों' का उपयोग राज्य सरकारों को उस निर्धारण को करने से नहीं रोकता है और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के उद्देश्य के अनुरूप उचित निर्णय लेने से रोकता है-यह व्यक्तिगत लाइसेंसधारियों के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। राज्य सरकारों में सक्षम अधिकारियों को उनके अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए यदि उन्हें इतनी सलाह दी जाती है कि राज्य सरकारों द्वारा उचित निर्णय लिए जा सकते हैं-एमए/आईए का निपटारा।

तमिलनाडु राज्य बनाम के बालू [2016] 11 एससीआर 244: (2017) 2 एससीसी 281; अराइव सेफ सोसाइटी ऑफ चंडीगढ़ बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ एसएलपी (सी) 2017 का नंबर 10243; एपीएसआरटीसी बनाम अब्दुल करीम [2007] 1 एससीआर 888: (2007) 2 एससीसी 466; सिने प्रदर्शनियां प्राइवेट लिमिटेड बनाम कलेक्टर, जिला ग्वालियर (2012) 6 एससीसी 698; होटल सोनाई बीयर बार और परमिट रूम बनाम महाराष्ट्र राज्य एसएलपी (सी) नंबर 19845/2017 -का उल्लेख किया।

केस लॉ संदर्भ:

[2016] 11 एससीआर 244 पैरा 1 को संदर्भित किया गया

[2007] 1 एससीआर 888 पैरा 4 को संदर्भित किया गया

(2012) 6 एससीसी 698 पैरा 4 को संदर्भित किया गया

सिविल अपीलीय शेत्राधिकार एम. ए. 489-49 1/2018, सिविल अपील सं. 12164-12166/2016 में 366-368/2018,392-394/2018,395-397/2018,388-390/2018,1543-1545/2017,1546-1548/2017 और 1549-1551/2017

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं. 23773/2012 एम.पी.न. 9 और 10 में रिट याचिका सं. 23773/2012 में से-

अभिषेक मनु सिंघवी, सीनियर एडवोकेट, रॉय अब्राहम, सुश्री सीमा जैन, सुश्री रीना रॉय, हिमिंदर लाल, पी. एन. गोस्वामी, सुश्री प्रणिता शेखर, पवन के. शर्मा, शशि रंजन, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, डॉ. मनीष सिंघवी, सत्येंद्र कुमार, शैलजा नंदा मिश्रा, इरशाद अहमद, आशुतोष दुबे, कृष्णेंदु सरकार, सुश्री राजश्री, अभिषेक चौहान, वीएस रावत, सुशील पांडे, सुश्री कुलजीत कौर, प्रज्ञान प्रदीप शर्मा, सुश्री आनंदिनी कुमारी, पीवी योगेश्वरन, आरबी फूकन, सुश्री नेहा टंडन, शैलेश मडियाल, एम. योगेश कन्न, यशपाल ढींगरा, सुश्री नंदिनी सेन मुखर्जी, अजय मारवाह, इरशाद अहमद, सलाहकार- अपीलकर्ताओं के लिए।

एस. एस. शमशेरी, एएजी, सीएल पांडे, सीनियर सलाहकार।, सुश्री बीनू तमता, एस. एस. रावत, हेमंत आर्य, जी. एस. मक्कर, अमित शर्मा, संदीप सिंह, अंकित राज, सुश्री इंदिरा भाकर, सुश्री रूचि कोहली, मनीष कौशिक, सुश्री अनन्य पांडे, दीपेश शर्मा, यश पाल ढींगरा, जी. प्रकाश, जिष्णु एमएल, श्रीमती प्रियंका प्रकाश, श्रीमती बीना प्रकाश, विजय शंकर वीएल, एस. थानंजयन, कालेश्वरम राज, सुविदत्त एम. एस., अजय मारवाह, सलाहकार- उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का आदेश **डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे.,** द्वारा दिया गया-

1. एमए/आईए का यह बैच इस न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ़ तमिल नाडु बनाम के. बालू में 15 दिसंबर 2016 के फैसले से उत्पन्न होता है, जो इस न्यायालय द्वारा वाद में 31 मार्च 2017 और 11 जुलाई 2017 को दिए गए आदेशों में दिया गया था। उपरोक्त आदेशों में से अंतिम अराइव सेफ सोसाइटी ऑफ चंडीगढ़ बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में दिया गया था।

2. यद्यपि व्यक्तिगत एमए/आईए में जो राहत मांगी गई है, वह अलग-अलग हो सकती है, सुनवाई के दौरान एक व्यापक सहमति है कि वर्तमान कार्यवाही के उद्देश्य के लिए, यह पर्याप्त होगा यदि यह न्यायालय अनुच्छेद 7 की व्याख्या करे। आदेश दिनांक 11 जुलाई 2017। अनुच्छेद 7 नीचे दिया गया हैः

“7. 15 दिसंबर 2016 के आदेश में निहित निर्देशों का उद्देश्य शराब की बिक्री के साथ-साथ राजमार्गों की निकटता को ठीक से समझना है, जो शहरों, कस्बों और गांवों के बीच संपर्क प्रदान करते हैं। आदेश नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों को प्रतिबंधित नहीं करता है। यह स्पष्टीकरण अन्य नगरपालिका क्षेत्रों को भी नियंत्रित करेगा। हमने इस स्पष्टीकरण को जारी करने के लिए किसी भी अस्पष्टता को निर्धारित करने और बार-बार पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उचित माना है अदालत के समक्ष आईए।”

3. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त पैराग्राफ में 'नगरपालिका क्षेत्रों' की अभिव्यक्ति का उद्देश्य स्थानीय स्व-शासित निकायों के अधिकार क्षेत्र के भीतर क्षेत्रों को बाहर करना नहीं था। उनमें से कई, यह आग्रह किया जाता है, नगरपालिकाओं के समान तरीके से विकसित किया जा सकता है। अन्य, भौगोलिक रूप से एक शहरी समूह के निकट हो सकते हैं। इसलिए यह आग्रह किया गया था 'सिविल अपील 12164-12166/2016? 2017 की विशेष अवकाश याचिका (सी) संख्या 10243/2017 के आवेदन में अनिश्चितताओं को कम करने के लिए एक उचित निर्देश जारी किया जा सकता है, इस न्यायालय को बार-बार सहारा देने की आवश्यकता है या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालयों में मुकदमेबाजी।

4. एपीएसआरटीसी बनाम अब्दुल करीम "और सिने एक्ज़िबिशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम कलेक्टर, जिला ग्वालियर" में इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भरता रखने वाले एक प्रतियोगी हस्तक्षेपकर्ता द्वारा आवेदन का विरोध किया गया है। यह आग्रह किया गया है कि किसी निर्णय के संशोधन या स्पष्टीकरण के लिए एक आवेदन एक समीक्षा के दायरे में आएगा और इसलिए वर्तमान अनुप्रयोगों को बनाए रखने योग्य नहीं होगा।

5. उपरोक्त आपत्ति से निपटते हुए, आवेदकों की ओर से पेश किए गए विद्वान वकील यह प्रस्तुत करते हैं कि वे इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की न तो समीक्षा चाहते हैं और न ही संशोधन। न्यायालय का ध्यान 13 दिसंबर 2017 के एक आदेश की ओर आकर्षित किया गया था, जो इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सी) सं. 964/2017 और 1050/2017 में निम्नलिखित शर्तों में पारित किया गया थाः

“पार्टियों के लिए विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमें लगता है कि यह निर्देश देने के लिए उपयुक्त है कि याचिकाकर्ताओं में से प्रत्येक एक प्रत्यावेदन तीन सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करेगा, यह बताते हुए कि वे नगरपालिका क्षेत्रों/एमआईडीसी विकसित क्षेत्रों पर लागू सिद्धांत द्वारा शासित होने का हकदार है। प्रत्येक प्रतिनिधित्व में व्यक्तिगत तथ्यों का उल्लेख किया जाएगा। उसी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा और इस न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिनिधित्व की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह के भीतर अधिमानतः निर्णय लिया जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है, प्रतिनिधित्व कारणों और रिकॉर्डिंग के आधार पर

निष्कर्ष तय किया जाएगा। यदि याचिकाकर्ता दुखी हैं, तो वे इस न्यायालय में संपर्क कर सकते हैं। पूर्वोक्त निर्देशों और स्वतंत्रता के साथ, रिट याचिकाएँ निस्तारित की जाती हैं।"

प्रस्तुत प्रकरण यह है कि यह पर्याप्त होगा यदि राज्य सरकारों को यह निर्धारित करने की अनुमति दी जाए कि क्या आवेदक और समान रूप से रखे गए व्यक्ति उस सिद्धांत द्वारा शासित हैं जो इस न्यायालय द्वारा नगरपालिका क्षेत्रों के संबंध में निर्धारित किया गया था।

6. सिने एक्ज़िबिशन प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) में दो विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ जिसमें न्यायमूर्ति केएसपी राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा शामिल थे, (तब मुख्य न्यायाधीश के रूप में) इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

3 (2007) 2 एससीसी 466

4 (2012) 6 एससीसी 698

"आम तौर पर एक टाइपोग्राफिक त्रुटि के सुधार के लिए एक आवेदन या किसी शब्द का चूक, आदि, एक फैसले या आदेश में झूठ होगा संधार्य होगा, लेकिन एक याचिका जिसका उद्देश्य किसी आदेश या निर्णय की समीक्षा करना है आदेश 47 नागरिक प्रक्रिया संहिता के नियम 1 और आपराधिक कार्यवाही में प्रथम दृष्टया अवलोकन से त्रुटि के आधार पर कार्यवाही को छोड़कर एक आवेदन दाखिल करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य स्पष्टीकरण/संशोधन/प्रत्याहरण या पुनः सुनवाई के लिए होगा, बल्कि जिसके लिए पुनर्विलोकन ही उचित उपाय है। (आईडी पृष्ठ 703-704 पर)"

वर्तमान कार्यवाही में न तो न्यायालय को अपने निर्णय की समीक्षा करने के लिए कहा जाता है और न ही अपने आदेशों को संशोधित करने के लिए। वास्तव में इस न्यायालय द्वारा 11 जुलाई 2017 को अराइव सेफ सोसाइटी (सुप्रा) और बाद में होटल सोनाई बीयर बार और परमिट रूम वी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में पारित आदेशों पर निर्भरता रखी गई है और पहले से जुड़ी रिट याचिकाओं को संदर्भित किया गया है।

7. 11 जुलाई 2017 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश में, यह देखा गया कि 15 दिसंबर 2016 के आदेश में निहित निर्देशों का उद्देश्य शराब की बिक्री के साथ-साथ राजमार्गों की निकटता को ठीक से समझना है, जो कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। शहरों, कस्बों और गांवों के बीच। इस वस्तु के संबंध में यह नोट किया गया था कि आदेश नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों को प्रतिबंधित नहीं करता है। वास्तव में, यह सुनिश्चित करने के लिए

कि आदेश समान रूप से समझा जाता है, देश को रौंदते हुए, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह अन्य नगरपालिका क्षेत्रों को भी नियंत्रित करेगा। 13 दिसंबर 2017 के इस न्यायालय के बाद के आदेश में, लाइसेंस धारकों को राज्य सरकार को एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि याचिकाकर्ताओं के लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों पर भी यही सिद्धांत लागू होना चाहिए, क्योंकि वे नगरपालिका क्षेत्रों/एमआईडीसी पर लागू होते हैं, विकसित क्षेत्र (महाराष्ट्र राज्य के संबंध में)।

8. इन निर्देशों के संबंध में, हमारा विचार है कि राज्य सरकारों को यह निर्धारित करने से रोका नहीं जाएगा कि इस न्यायालय द्वारा अराइव सेफ सोसाइटी (सुप्रा) में 11 जुलाई 2017 के आदेश में जो सिद्धांत निर्धारित किया गया है, वह भी लागू होना चाहिए, स्थानीय स्वशासी निकायों और वैधानिक विकास प्राधिकरणों द्वारा कवर किए गए क्षेत्र। हम राज्य सरकारों को यह निर्धारण करने की अनुमति देने के लिए इच्छुक हैं क्योंकि यह इस तथ्य का सवाल है कि क्या एक स्थानीय क्षेत्र द्वारा कवर किया गया क्षेत्र है। एल्फ-गवर्निंग निकाय एक नगरपालिका समूह के निकट है या पर्याप्त रूप से विकसित किया गया है, जो कि विशेष अवकाश याचिका (सी) संख्या 19845/2017 के आवेदन को एक ही सिद्धांत पर लागू करने के लिए है।

यह तय करने के लिए कि क्या 11 जुलाई 2017 के आदेश में जो सिद्धांत निर्धारित किया गया है, उसे स्थानीय स्व-शासित निकाय (या वैधानिक विकास प्राधिकरण) तक बढ़ाया जाना चाहिए, राज्य सरकारें प्रकृति और सीमा सहित सभी प्रासंगिक परिस्थितियों में सहारा लेंगी। क्षेत्र में विकास और राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करने वाली दिशा में अंतर्निहित वस्तु। दिनांकित 11 जुलाई 2017 के आदेश में 'नगरपालिका क्षेत्रों' की अभिव्यक्ति का उपयोग राज्य सरकारों को उस निर्धारण को करने और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के उद्देश्य के अनुरूप उचित निर्णय लेने से नहीं रोकता है। हम इसे व्यक्तिगत लाइसेंसधारियों के लिए राज्य सरकारों में सक्षम अधिकारियों को अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने के लिए खुला छोड़ देते हैं यदि उन्हें सलाह दी जाती है कि राज्य सरकारों द्वारा उचित निर्णय लिया जा सकता है। हमने उच्च न्यायालयों के समक्ष दोनों मुकदमों को रद्द करने के लिए यह सामान्य निर्देश जारी किया है, इस न्यायालय को आवेदन करने के लिए सहारा दिया।

9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, एमए/आईए का निस्तारण किया जाता है।

आवेदन का निस्तारण किया गया।

देविका गुजराल

Jai Shankar Mishra